प्रेषक

टी0के0 शिबु,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर एवं शामली।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 14 मई, 2018**

विषय- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-15 / 2018 / 260 / अड़तीस-9-18-08(बजट) / 2017 दिनांक-04.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद सहारनपुर एवं शामली के विधान सभा / विधान परिषद क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय क्षेत्र कैराना में होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। अत: संसदीय क्षेत्र कैराना के उप चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही जनपद सहारनपुर एवं शामली के विधान सभा / विधान परिषद क्षेत्रों को उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक-04.05.2018 के माध्यम से अवमुक्त की गयी धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

संख्या- 16 / 2018 / 273(1) / अड़तीस-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, सहारनपुर / शामली।
4- कोषाधिकारी, सहारनपुर / शामली।
5- गार्डबुक।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in